बिहार सरकार

कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना – 800023

Email id – lnjpnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2280973, M.No.- 9470003586 Website - http://lnjporthohospital.org

NATIONAL HEALTH MISSION

आदेश

यह आदेश श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव, प्रोपराईटर मेसर्स आर0एस0 आउटसोर्सिंग, चांदमारी रोड, लोहियानगर, कंकडबाग, पटना, बिहार, (इसके बाद संस्था के लिए आपके शब्द का प्रयोग किया जाएगा) जो इस संस्थान में निविदा संख्या निविदा संख्या PRNo 20047 (Health) 2023-24 के अंतर्गत लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में आउटसोर्स के आधार पर वस्त्र धुलाई का कार्य संपादित कर रही है के बार–बार सूचित करने एवं चेतावनी के पश्चात भी निविदा शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर पारित किया जा रहा है।

इस कार्यालय के पत्रांक– 3066 दिनांक 22.07.2025, 3214 दिनांक 01.08.2025 एवं 3500 दिनांक 25.08.2025 के द्वारा आपको निविदा शर्तों के अनुरूप काम करने का आदेश दिया गया। इसके बावजूद आपने निविदा शर्तों का पालन नहीं किया। उक्त के पश्चात भी इस कार्यालय के पत्रांक 751 दिनांक 14.03.2026, 825 दिनांक 24.03.2026, 926 दिनांक 02.04.2026 एवं 1070 दिनांक 13.04.2026 के द्वारा भी निविदा शर्तों के पालन के हेतु आदेश दिया गया लेकिन इसके बावजूद भी आपके द्वारा संविदा वचनों का पालन नहीं किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि उपरोक्त पत्रों के द्वारा आपसे निम्नलिखित दस्तावेजों, जो निविदा शर्त के अनुसार संविदा क्रियाण्वयन के लिए अतिआवश्यक है कि मांग की गई थी :–

1. बिहार श्रम नियमावली एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमों के अनुपालन से संबंधित नोटरी के समक्ष दायर शपथ – पत्र।
2. विभिन्न पदों पर बहाल कर्मियों का पदनाम सहित अलग–अलग शपथ – पत्र (निविदा शर्तों के अनुरूप) जिसमें निविदा में वर्णित सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो।
3. संस्था द्वारा बहाल कर्मियों को निर्गत नियुक्ति– पत्र की प्रति।
4. जिला के पुलिस अधीक्षक– स्थानीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र।
5. कर्मियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति।
6. ESIC No एवं EPF No से संबंधित अभिलेख।
7. स्वास्थ्य बीमा/आयुष्मान भारत कार्ड अथवा समकक्ष कैशलेश स्वास्थ्य बीमा (कम से कम 5,00,000 प्रति वर्ष) से संबंधित पॉलिसी बॉन्ड की छायाप्रति।
8. पेंशन योजना/पेंशन बीमा (कम से कम 5000 प्रति माह) से संबंधित पॉलिसी बॉण्ड की छायाप्रति।
   यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त सभी अभिलेख अद्यतन होने चाहिए तथा उनकी निर्गत तिथि अनुबंध दिनांक 10.12.2024 से तीन माह के भीतर अथवा उससे पूर्व की अवधि की होनी चाहिए।
9. कपड़ो की धुलाई हेतु उपलब्ध कराई गई ब्राण्डेड कंपनी की Best Fully Automatic Washing Machine एवं अन्य उपकरणों के क्रय से संबंधित बिल/दस्तावेज विवरण।

किंतु आपके द्वारा उक्त आदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया। यह आपके निविदा शर्तों की अवहेलना करने की प्रवृति एवं अनुशासनहीनता को प्रदशित करता है।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक 593(3) दिनांक 13.10.2025 के द्वारा आपके द्वारा इस संस्थान में उपरोक्त निविदा एवं संविदा की जांच हेतु एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 55(3) दिनांक 15.01.2026 के द्वारा समिति का मंतब्य अधोहस्ताक्षरी

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसके अनुसार जांचोपरांत कमिटी ने अपने कार्यालय पत्रांक 258 दिनांक 04.12.2025 से निम्नवत् मंतब्य प्रतिवेदित किया है :–

"वर्णित परिपेक्ष्य में यह परिलक्षित होता है कि निविदा के शर्तों से इतर एकरारनामा की शर्तों को तैयार कर निविदा की कतिपय शर्तों को निष्प्रभावी कर दिया गया है जोकि नियमानुकूल नहीं है।"

उपरोक्त विभागीय पत्र के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 212 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा आपको अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया था एवं साथ हीं यह चेतावनी दी गई थी कि यदि आप अपना पक्ष नहीं रखते है तो अधोहस्ताक्षरी अपने स्तर से एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखा गया इसके पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 504 दिनांक 21.02.2026 एवं पत्रांक 576 दिनांक 26.02.2026 के द्वारा आपको स्मारित भी किया गया फिर भी आज तक आप उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विभागीय पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 670 दिनांक 09.03.2026 के द्वारा दिनांक 13.03.2026 को इस पर निर्णय लेने हेतु निविदा निर्धारण समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें आपको भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था किंतु आप बैठक में भी उपस्थित नहीं हुए।

दिनांक 13.03.2026 के बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित 03 निर्णय लिए गए :–

(1) चूंकि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि एकरारनामा में निविदा शर्तों को निश्प्रभावी कर दिया गया है इसलिए इस एकरारनामा को रद्द करते हुए निविदा शर्तोनुकूल नया एकरारनामा हेतु निदेशक लोकनायक जयप्रकाश को निदेशित किया गया।

(2) निदेशक को विधि परामर्श के लिए अधिकृत किया गया।

(3) नया एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में निदेशक को निविदा रद्द करने हेतु अधिकृत किया गया।

समिति के उपरोक्त निर्णय के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 811 दिनांक 23.03.2026 एवं पत्रांक 924 दिनांक 02.04.2026 के द्वारा आपसे साथ बैठकर एकरारनामा को निविदा शर्तों के अनुरूप संशोधित करते हुए एक नया एकरारनामा हस्ताक्षरित करने का अनुरोध किया गया किंतु आपके द्वारा उक्त अनुरोध पर कोई कर्रवाई नहीं की गई। यह प्रदर्शित करता है कि आप इस कार्यालय के आदेशों के प्रति पूर्णतः उदासीन एवं लापरवाह है।

उपरोक्त तथ्य प्रमाणित करते है कि आप प्रारंभ से हीं अनुबंध के शर्तों के पालन करने में उदासीन एवं लापरवाह रहें हैं। उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय स्तर से उपरोक्त पत्रों एवं आदेशों के माध्यम से आपको बार–बार इस संदर्भ में सूचित किया गया, चेतावनी दी गई फिर भी अनुबंध के शर्तों एवं निविदा शर्तों के पालन करने के प्रति आपके द्वारा कभी कोई सकारात्मक कार्यवाई नहीं की गई और लगातार इनकी अवहेलना की गई।

आपको विदित है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना एक बड़ा चिकित्सीय संस्थान है। इस संस्थान में वस्त्र धुलाई के अभाव में संक्रमण की अत्यधिक संभावना है। इसके बावजूद आपके द्वारा वस्त्र धुलाई का काम बैज्ञानिक तरीके से, जैसा कि निविदा शर्तों में उल्लेखित है, नहीं किया जाना इंगित करता है कि आप संविदा के वचनों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं।

इस संस्थान में वस्त्र धुलाई का महत्व एवं इन कार्यों के प्रति आपकी उदासीनता एवं लापरवाही को ध्यानांतरर्गत रखते हुए अधोहस्ताक्षरी इस निश्कर्ष पर पहुचे है कि आप इस संस्थान में वस्त्र धुलाई का कार्य, जो मरीजों, आगंतुकों एवं कार्यरत् कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने हेतु अत्यावश्क कार्य है,

11/5/26

Madhu 11/5/26

Scanned with OKEN Scanner

के लिए आप योग्य नहीं हैं एवं उपरोक्त तथ्यों के देखते हुए आपके साथ संविदा क्रियांण्वयन जारी रखना लोकहित में नहीं है।

उपरोक्त निविदा शर्त्तों के अंतर्गत आपके साथ दिनांक 10.12.2024 को वस्त्र धुलाई के कार्यो हेतु एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया था। हस्ताक्षरित एकरारनामा की कंडिका 12 में यह विहित किया गया है कि **दोनों पक्ष के लिए इस निविदा से संबंधित निविदा शर्त्तों का अनुपालन वाध्यकारी होगा। दोनों पक्ष निविदा शर्त्त के अंतर्गत वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे, शर्त्तों की अवहेलना की दशा में शर्त्तों के अंतर्गत दोनों पक्ष वर्णित दण्ड/कार्यवाई के भागी होंगे।** निविदा शर्त्त नोट उपकंडिका – 9 के अंतर्गत भी यह विहित किया गया है कि **नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी बिन्दुओं को महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य समझा जाय, यदि निविदादाता द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेश निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने अथवा कार्यादेश निर्गत के पश्चात किसी भी समय संस्था द्वारा कि गई सभी भुगतान राशि की वसुली कर सरकारी खाजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।**

चूकि आप अनुबंध के शर्तों एवं निविदा शर्तो का पूर्णतः पालन नहीं कर रहे है इसलिए अधोहस्ताक्षरी भी संविदा निर्वाह के लिए बाध्य नहीं है।

उक्त के आलोक में यह निर्णय लिया जाता है कि आपके साथ दिनांक 10.12.2024 को हस्ताक्षरित उपरोक्त एकरारनामा को रद्द किया जाय।

अतः आपके साथ उपरोक्त एकरारनामा को इस आदेश कि निर्गत होने कि तिथि से 60 दिनों के बाद स्वतः रद्द समझा जायगा, बैकल्पिक व्यवस्था होने तक आप इस संस्थान में यथावत वस्त्र धुलाई का कार्य करते रहेंगे।

11/05/26

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

Madhuri 11/5/26

ज्ञापांक 1823 / दिनांक 11 / 05 / 2026 ई0

प्रतिलिपि :– रागिनी श्रीवास्तव, प्रोपराईटर मेसर्स आर0एस0 आउटसोर्सिंग, चांदमारी रोड, लोहियानगर, कंकडबाग, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, स्वास्थ्य बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11/05/26

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

Madhuri 11/5/26

25 KANCHAN BALA | Be Careful, Stay Home Rahul letter Keep Social Distance Hindi F.

Scanned with OKEN Scanner